6. <u>Law</u>

कानून का अंग्रेजी पर्याय Law शब्द की उत्पत्ति 'Lag' से हुआ है जिसका अर्थ है, वह वस्तु जो सदा स्थिर रहे। अतः शब्द व्युत्पत्ति की Law का अर्थ है "That which is Uniform"

साधारण तौर पर जब प्रकृति, मनुष्य या किसी वस्तु के आचरण में स्थिरता आ जाती है तो इसी स्थिरता को कानून कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी वस्तु को बार-बार ऊपर फेंकने से वह नीचे ही आती है। इसी उसके आचरण में एक एकरूपता या स्थिरता पाई गई। अतः इससे Law of Gravitation की उत्पत्ति हुई। किन्तु Pol. Sc. के अनुसार, उन सभी राजकीय आदेशों एवं प्रथाओं को कानून कहते हैं जिनका पालन राज्यशक्ति द्वारा कराया जाता है।

कानून Pol. Sc. का एक काफी विवादास्पद विषय है। इसकी परिभाषा भिन्न-भिन्न विद्वानों ने भिन्न प्रकार से दी है। Pollock ने कहा है कि "कानून की परिभाषा करना सम्भव नहीं है। इसी प्रकार Allen ने भी कहा है कि "अच्छा यही होगा कि विधि की परिभाषा ही न की जाए" क्योंकि परिभाषा या तो अति लघु होगा या अति दीर्घ" फिर भी कुछ विद्वानों ने कानून को परिभाषित करते हुए लिखा है कि —

विल्सन — "कानून स्थापित विचार, तथा स्वभाव का वह अंश है, जिसे शासन की शक्ति लागू करती है।"

ऑस्टिन, "कानून सम्प्रभु का आदेश है।"

<u>हालैण्ड</u>, "कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है।"

पाउण्ड: "न्याय के प्रशासन में जनता तथा नियमित न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त या लागू किए गए सिद्धान्तों को कानून कहते हैं।

इस प्रकार हम देखते है कि Law को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। इन परिभाषाओं में मत भिन्नताएँ भी है। इसका कारण यह है कि कानून का अध्ययन विभिन्न पद्धतियों या विचारधाराओं के द्वारा किया जाता है। ये विचारधाराएँ निम्नलिखित है —

— विश्लेषणात्मक — विचारधारा — इस सिद्धान्त के प्रमुख प्रतिपादक — बेन्थम, हॉब्स, सिलोण्डी, हॉलैण्ड इत्यादि हैं। इनके अनुसार कानून की तीन विशेषताएँ हैं — i) सम्प्रभु का आदेश कानून है (ii) कानून का पालन बल प्रयोग पर आधारित है (iii) कानून का सम्बन्ध मनुष्य के बाहरी आचरण से होता है।

इनके अनुसार प्रथा, रीति रिवाज या परम्परा का कानून-निर्माण में कोई हाथ नहीं होता बल्कि यह केवल विधान-मंडल द्वारा निर्मित नियम है। निष्कर्षतः कानून का मूल तत्व शक्ति है और यह राज्य का चेतनशील आदेश है।

किन्तु इसमें कानून के केवल वैधानिक पक्ष पर बल दिया गया है व्यवहारिक पक्ष की अवहेलना की गई है। मैकाइवर के अनुसार, "कानून आदेश नहीं बल्कि आदेश के बिल्कुल विपरीत है क्योंकि आदेश शब्द आदेश देने वाले तथा जिसको आदेश दिया जाए, दोनों को अलग-अलग कर देता है। परन्तु कानून उन्हें मिलाता है क्योंकि वह विधायक तथा सामान्य नागरिक दोनों पर समान रूप से लागू होता है।"

— ऐतिहासिक विचारधारा — इस विचारधारा के मुख्य प्रतिपादक सर हेनरी मेन, पोलक, कुकर्स विल्सन इत्यादि रहे हैं। यह विचारधारा विश्लेषणात्मक विचारधारा के ठीक विपरीत है। यह विचारधारा कानून को स्थायी नहीं मानती बल्कि प्रगतिशील परिवर्तनशील एवं अतीत की सारी शक्तियों का परिणाम मानती है। इसके अनुसार कानून किसी कानून निर्माता की इच्छा से

उत्पन्न नहीं होता बल्कि भूतकाल से चली आ रही प्रथाओं और परम्पराओं का परिणाम है। राज्य का कार्य कानून का निर्माण नहीं बल्कि केवल कानून को स्पष्ट स्वरूप प्रदान करना तथा उसे लागू करना है।

किन्तु यह विचारधारा रूढ़िवादी है। यह कोई परिवर्तन का सुझाव पेश नहीं करती। ब्राइस : " एक प्रकार का कानून अतीत और वर्तमान के बीच प्रथाओं और वैधानिक परम्पराओं के बीच एक प्रकार का समझौता होता है, अतः वैधानिक विश्लेषण केवल ऐतिहासिक विचारधारा से ही सम्भव है।"

— दार्शनिक विचारधारा — रूसो, हीगल, कान्ट इसके मुख्य समर्थक रहे हैं। यह विचारधारा कानून के अमूर्त तथा दार्शनिक रूप पर बल देती है तथा नैतिक पक्ष की वृद्धि पर बल देता है। रूसो की मान्यता है कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है और चूँकि सामान्य इच्छा कभी अनुचित नहीं हो सकती, उसी प्रकार कानून भी कभी अनुचित नहीं हो सकता है।

किन्तु इसके समर्थक कानून के दार्शनिक तथा अमूर्त पक्ष पर अधिक बल देते हैं और व्यवहारिकता की उपेक्षा करते हैं। उन्हें जन प्रतिक्रिया की चिन्ता नहीं होती।

— तुलनात्मक विचारधारा — यह एक नयी विचारधारा है। इसके अनुसार भूत तथा वर्तमान की सभी कानूनी पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन करके ही उचित कानूनों का निर्माण किया जा सकता है। इसके समर्थक हर्बर्ट स्पेन्सर, ब्राइस आदि हैं। इनके अनुसार कानून भूत-वर्तमान के सभी कानूनी पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन का परिणाम है।

किन्तु यह सिद्धान्त भी पूर्ण नहीं है क्योंकि किसी भी देश के कानूनों की तुलना उस देश के वातावरण या पर्यावरण पर निर्भर करता है। अन्य देशों पर उसे हूबहू लागू नहीं किया जा सकता है।

इसके बावजूद यह विचारधारा कानून की व्यवहारिक जटिलताएँ दूर करने में सहायक है।

— समाजशास्त्रीय विचारधारा — ड्यूग्वी, फ्रैंक, पाउण्ड आदि इसके समर्थक हैं। इनके अनुसार कानून सामाजिक जीवन की आवश्यकता है। राज्य कानून का स्रोत ना होकर केवल सामाजिक नियमों को कानूनी स्वरूप प्रदान करता है। ड्यूग्वी के अनुसार; कानून आचरण के वे नियम हैं जो मनुष्यों को समाज में नियंत्रित रखते हैं।"

इस प्रकार हम देखते हैं कि कानून के सम्बन्ध में उपरोक्त कई विचारधाराएँ भिन्न-भिन्न विचारों द्वारा प्रतिपादित की गई हैं। किन्तु इनमें से कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। कानून न तो केवल सम्प्रभु का आदेश है और न केवल रीति-रिवाजों पर ही आधारित है, बल्कि यह इन दोनों विचारों का समन्वय है। Wilson ने कानून के वास्तविक स्वरूप की विवेचना करते हुए कहा है कि, "कानून स्थापित विचार और स्वभाव का अंश है जिसे नियमों के रूप में विशिष्ट और औपचारिक मान्यता प्राप्त हो गई हो तथा जिसकी पीठ पर सरकार की शक्ति हो।

— Au